राजस्थान–सरकार

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन नम्बर 0141–2988946, 2973804 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं / पंजीयन / 2018 / 2223 दिनांकः– 17-07-18

सार्वजनिक सूचना

रजिस्ट्रार / प्रधानाचार्य
समस्त मेडिकल विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– राजस्थान राज्य में संचालित पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों की मान्यता राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से लेने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको विदित होगा कि राज्य में राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 द्वारा राजस्थान पैरा मेडिकल शिक्षा के नियम / विनियम एवं विकास के उद्धेश्य से 2014 से ''राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल'' अस्तित्व में है। राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 एवं राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल विनियम 2014 के अस्तित्व में आने के पश्चात् राजस्थान राज्य में पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम के संचालन के लिए राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। वर्तमान में राज्य में कई विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन देखा गया है कि ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति न तो संबंधित विश्वविद्यालय का एक्ट देता है तथा न ही विश्वविद्यालय द्वारा पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम संचालन हेतु राज्य सरकार में सक्षम स्तर से, जो कि 2014 के पश्चात् ''राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल'' है, इस हेतु पूर्वानुमति ली गई है। यदि किसी विश्वविद्यालयके एक्ट में पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति है तब भी पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए इस हेतु गठित नियामकिय संस्था से अनुमति लिया जाना आवश्यक है, निजी विश्वविद्यालयों के एक्ट में भी इस संबंध में बाध्यकारी प्रावधान है।

जिस तरह विश्वविद्यालयों द्वारा मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए मेडिकल काउन्सलिंग ऑफ इण्डिया (MCI) तथा इंजिनियरींग पाठ्यक्रमों के लिए ऑफ इण्डिया काउन्सिल ऑफ टैक्नीकल एज्यूकेशन (AICTE) से सम्बद्धता प्राप्त की जाती है, उसी तरह से पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उस हेतु निर्मित वैधानिक निकाय (**Statutory Body**) ''राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल'' से मान्यता प्राप्त करना कानूनन अनिवार्य है।

विधिक प्रावधानों के अनुसार राज्य में पैरा मेडिककल डिप्लोमा / डिग्री करने के पश्चात् पैरा मेडिकल वृत्तिका (Profession) करने अथवा राज्य सरकार में पैरा मेडिकल पदों पर भर्ती में भाग लेने के लिए प्रत्येक डिप्लोमा / डिग्रीधारी का ''राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल'' में पंजीयन होना आवश्यक है। यदि किसी भी

विश्वविद्यालय द्वारा पैरा मेडिकल काउन्सिल से मान्यता किये बिना पैरा मेडिकल डिप्लोमा/डिग्री करवाये जाते है तो कानूनन ऐसे डिप्लोमा/डिग्री धारकों का पंजीयन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिना पूर्वानुमति पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालय की होगी।

अतः यदि आपके विश्वविद्यालय में कोई भी पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं तो विधि अनुसार उसकी मान्यता राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से लिया जाना सुनिश्चित करें।

रजिस्ट्रार

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं/पंजीयन/2018/2223 दिनांकः– 17-07-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:–

1. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, (ESI), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
7. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. अध्यक्ष, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
9. निजीय सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
10. सर्वर रूम, राजस्थान पैरा मेडिकल, जयपुर कौंसिल को भेंजकर लेख है कि उक्त सूचना आज ही वेबसाईट पर अपलोड करें।
11. नोटिस बोर्ड, कार्यालय।
12. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार